



2026:AHC:178143

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29857 वर्ष 2026

अभय कुमार सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अजीत कुमार मिश्रा, अतुल कुमार शाही
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं और यदि जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विक्रान्त राणा, जिनकी सहायता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार शाही ने की, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक लेखपाल है तथा चकबंदी अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10,000/- रुपये की मांग की गई थी। आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि तत्पश्चात जाल बिछाने वाली टीम का गठन किया गया तथा 10,000/- रुपये बरामद किए गए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत अधिकतम दंड सात वर्ष का है तथा उक्त अपराध का विचारण संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 22.7.2026 से जेल में निरुद्ध है और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य से विवाद नहीं किया।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के ऐसे किसी आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त को दर्शाने वाला कोई तथ्य या परिस्थिति अभिलेख पर नहीं लाई है, जो आवेदक को जमानत दिए जाने से वंचित करती हो।

6. यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक ने विवेचना अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।

7. यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर भली-भांति मान्यता प्राप्त है। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 (10) एस.सी.सी. 51** के मामले में पुनः प्रतिपादित किया गया है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दर्शाई है, जो आवेदक को जमानत देने से इनकार किए जाने को उचित ठहराती हो।

8. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, तथ्य अथवा परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है, जिससे यह संकेत मिले कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अभियुक्त का चरित्र ऐसा है कि उसका खुले में मात्र उपस्थित रहना ही साक्षियों को भयभीत करेगा अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय के मार्ग को बाधित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

9. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य अथवा परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है, जिससे आवेदक के न्याय से फरार होने अथवा न्याय की प्रक्रिया को विफल करने अथवा अपराधों की पुनरावृत्ति या साक्षियों को भयभीत करने आदि के रूप में अन्य कठिनाइयां उत्पन्न करने की संभावना का संकेत मिलता हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



10. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई सामग्री अथवा परिस्थिति नहीं दर्शाई है कि व्यापक जनहित अथवा राज्य के हित में अभियुक्त/आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।

11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. आवेदक- **अभय कुमार सिंह**, जो मुकदमा अपराध संख्या 09 वर्ष 2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, थाना भ्रष्टाचार निवारण, जनपद बस्ती में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो और/या जब भी आवश्यक हो, आवेदक किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

(iv) आवेदक ऐसे किसी अपराध को कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।

(v) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(vi) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(vii) यदि आवेदक अपना आवासीय पता परिवर्तित करता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए आवासीय पते की सूचना लिखित रूप में देगा।

13. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

24 अगस्त, 2026

वी.एम.ए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।